(210)

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या –137 / 2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00038

1. दौलतराम पुत्र नानूराम जाति बैरागी निवासी ग्राम लसूडिया तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा

---प्रार्थी.

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र मन्नालाल जाति मेघवाल
2. सुगनाबाई पत्नि मोहनलाल जाति मेघवाल
   निवासीगण ग्राम लसूडिया तहसील रामगंजमण्डी
3. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

--अप्रार्थी.

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा (राज०)

प्रार्थना पत्र बाबत निरस्तीकरण भू–आवंटन आदेश दिनांक 02/12/2010 आराजी खसरा नं0 107 रकबा 0.60 हे0 ग्राम लसूडिया अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित–

1. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामबाबू मालव अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1 व 2
3. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक –07 / 09 / 2021

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम लसूडिया तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नं0 107 की 0.60 हे0 भूमि दिनांक 02.12.2010 आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूरीलाल पुत्र बालाराम जाति मेघवाल को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की जाने पर उक्त आवंटन के विरूद्व प्रार्थी द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्तीकरण हेतु आवेदन पेश किया है ।
2. प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्व दिनांक 14.09.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 के ग्राम लसेडिया में स्वयं पूरीलाल पुत्र बालाराम के खाता संख्या 133 की ख0नं0 95 की 0.04 हे0 तथा ख0नं0 319 की 0. 65 हे0 भूमि खाते में मौजूद होते हुए भी उक्त तथ्य को आवंटन प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित न कर अपटपूर्ण ढंग से स्वयं को भूमिहीन बताकर गम्भीर तथ्य छिपाते हुए उक्त भूमि आवंटित करवायी गयी है, जो निरस्त होने योग्य है । अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा किसी भी सिवायचक

जिला कलेक्टर
कोटा

(B11)

आवंटन योग्य भूमि आवंटित कराने की प्रार्थना नहीं की गई है तथा सर्किल कानूनगो व हल्का पटवारी द्वारा भी पूरीलाल पुत्र बालाराम मेघवाल के खाते में ग्राम लसूडिया मे 0.69 हे0 भूमि मौजूद होने का तथ्य छुपाकर सही रिपोर्ट नहीं की गई है ।ग्राम लसूडिया में कृषि योग्य सिवायचक भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध होने बाबत कोई उद्घोषणा भी प्रसारित नहीं की जाने पर भी उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । ख0नं0 107 की कुल भूमि संलग्न नकल नक्षा लट्ठा के मुताबिक ग्राम लसूडिया की आबादी भूमि ख0नं0 106 से लगी हुई है तथा उक्त आबादी भूमि के आसपास खसरा नं0 107 की भूमि पर प्रार्थी सहित कई ग्रामवासियान लसूडिया द्वारा गत 25–30 वर्ष पूर्व से ही रियायषी कच्चे मकान एवं कृषि कार्यो हेतु उपयोगी बाडे बना रखे है । उक्त तथ्य हल्का पटवारी व सर्किल कानूनगों की जानकारी में होते हुए भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि आवंटित की गई उक्त भूमि की कोई चतुर्थ सीमाएं नहीं बतायी गई है तथा उक्त संबंध में सही सीमा ज्ञान के बिना ही केवल कागजी दखलनामा तैयार कर अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 को मिन खसरा नं0 439 / 107 की 0.60 हे0 भूमि पर गैर खातेदार दर्ज कर दिया है । प्रार्थी सहित ग्रामवासी लसेडिया के उक्त ख0नं0 107 की भूमि पर गांव की आबादी भूमि के निकट बने हुए आवासीय निवास गृह एवं कृषि कार्य हेतु उपयोग बाडो को अवैध रू्प से अतिक्रमी होना बताकर धारा 183 –बी के प्रावधानों के मुताबिक बेदखल करने को तत्पर हो रहे है । इसलिए प्रार्थी उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करवाने हेतु प्राथना कर रहा है ।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय से आवंटन पत्रावली तलब की गई । वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 व 2 के अभिभाषक उपस्थित । राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में पूरी जांच किये बिना ही आवंटन कर दी गई है, जबकि अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र में किसी भी सिवायचक भूमि का आवंटन नहीं किया गया, ना ही उद्घोषण की गई, तथा अप्रार्थीगण भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते है । तथा उक्त आवंटित भूमि ख0नं0 107 पर प्रार्थी सहित ग्रामवासी लसेडिया द्वारा आवासगृह एवं बाड़े बने हुए है । उक्त भूमि अप्रार्थी को आवंटन कर दिये जाने से अप्रार्थी नं0 1 व 2 के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी नं0 3 रा0टी0ए0 की धारा 183 (बी) के तहत प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है । उक्त आवंटन आदेष आवंटन नियमों के विपरीत कपटपूर्ण ढंग से पारित किया हुआ होना निर्णित कर निरस्त फरमाया जावें । बसूरतदीगर मौके पर प्रार्थी एवं अन्य ग्रामवासी लसूडिया के आवासीय निवासगृह एवं कृषि कार्यो हेतु उपयोगी बाडो की भूमि को ग्राम की आबादी भूमि होने से खसरा नं0 107 मौके पर स्थित अवशेष भूमि पर ही अप्रार्थीगण को मौके पर कब्जा दिलाये जाने हेतु अप्रार्थी नं0 3 तहसीलदार रामगंजमण्डी को निर्देशित किया जाये ताकि प्रार्थी सहित ग्रामवासी लसेडिया द्वारा गांव की आबादी ख0नं0 106 के निकट बसे हुए आवासगृह एवं बाडो को नष्ट होने से बचाया जा सकें ।

5. वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के खण्डन में मुख्यरूप से कथन किया है कि आवंटन कमेटी द्वारा किये गये आवंटन में यदि कोई खामी रह जाती है, तथा आवंटी आवंटन का पात्र न होने तथा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करता है तो कमेटी द्वारा किये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु नियम 14(4) के तहत प्रस्ताव भूमिधारी तहसीलदार ही प्रस्तुत कर सकते है । इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी मात्र अतिक्मी है, अतिक्मी को कमेटी द्वारा किये गये आवंटन को निरस्त कराने का

जिला कलेक्टर
कोटा

कोई अधिकार नहीं दिया गया है । तथा वक्त आवंटन के प्रार्थी का कोई आवेदन पत्र आवंटन कमेटी के पास लम्बित नहीं था, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से पोषणीय नहीं है । वकील अप्रार्थी नं0 1 व 2 द्वारा अपने कथनो की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त 2017 (1) RRT 634, 2016-2017(Supp) RRT 473, 2011 (1) RRT 270 प्रस्तुत किये है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण में प्रार्थी केवल कब्जे के आधार पर अप्रार्थी को किये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वकील अप्रार्थी के कथनों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से हम सहमत है कि आवंटन कमेटी द्वारा भूमि आवंटन की जाती है तो आवंटन प्रक्रिया मे कोई खामी होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने पर भूमिधारी सम्बन्धित तहसीलदार ही कमेटी द्वारा किये गये आवंटन को निरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है । इस प्रकरण में प्रार्थी को वाकई आवंटन निरस्त कराने का अधिकार नहीं है, प्रार्थी ने मात्र कब्जे के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, तथा अपने पक्ष में ऐसे कोई ठोस आधार एवं कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस पर गौर करते हुए आवंटन निरस्त किया जा सकें । किन्तु हम यहां इन संभावनों से भी इन्कार नहीं कर सकते है कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अब तक कब्जा ही न किया हो तथा इस भूमि पर प्रार्थी का भी कब्जा हो सकता है, चूंकि अप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर से कब्जा काश्त सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह मानते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते आवंटन निरस्तीकरण का आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं पाते है । फिर भी यदि भूमिधारी तहसीलदार जांच उपरान्त आवंटन निरस्त कराया जाना उचित पाने पर सरकार की ओर से पृथक से आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकतें है ।

7. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी नं0 1 व 2 के पक्ष में ग्राम लसुडिया के ख0नं0 107 में से रकबा 0.60 हे0 के आवंटन आदेश को यथावत रखा जाता है । साथ ही तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी नं0 1 व 2 के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन की मौके पर जांच करें यदि उक्त आवंटन निरस्ती योग्य पाते है तो पृथक से आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 07.09.2021 को खुले मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

नोट :- इस निर्णय के पेरा नं 1 व 2 को संशोधित आदेश दि0 22/9/021 से संशोधित किया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर
कोटा
जिला कलक्टर
कोटा

(84)

फर्द अहकाम
(नियम 20)
अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

दौलतराम *बनाम* *मोहनलाल*

किस्म मुकद्दमा – प्रकरण सं0 137/2016 फैसला दिनांक 07.09.2021
प्रार्थना पत्र धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152 सीपीसी

प्रकरण संख्या 77 वर्ष **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-09-2021	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के अपील सं0 137/2016 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2021 में हुई टाईपिंग त्रुटि के सम्बन्ध में पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जावें । प्रार्थना पत्र एवं निर्णय दिनांक 07.09.2021 का अवलोकन किया जिस अनुसार निर्णय के पेरा नं0 1 की तीसरी लाईन में व पेरा नं0 2 की दूसरी व तीसरी लाईन में पृष्ठ 2 की दुसरी लाईन में प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 मोहनलाल आत्मज मन्नालाल व सुगना बाई पत्नि मोहनलाल के स्थान पर सहवन से पूरीलाल पुत्र बालाराम अंकित हो गया है । जिसे दुरूस्त किया जाने हेतु निवेदन किया है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं इस न्यायालय के अपील प्रकरण संख्या 137/2016 दौलतराम बनाम मोहनलाल में निर्णय दिनांक 7.09.2021 के पेरा नं0 1 की तीसरी लाईन में व पेरा नं0 2 की दूसरी व तीसरी लाईन में पृष्ठ 2 की दुसरी लाईन में प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 में **पूरीलाल पुत्र बालाराम** जाति **मेघवाल** के स्थान पर **मोहनलाल आत्मज मन्नालाल व सुगना बाई पत्नि मोहनलाल जाति मेघवाल** पढ़ा जावें । प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न दाखिल दफ्तर हो । जिला कलक्टर कोटा	

न्यायालय जिला कलक्टर कोटा राजस्थान